संख्या-13/2019/4023 ई-2/तेरह-2018-02/2018टीसी

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 24 जनवरी, 2018

विषयः-वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आबकारी दुकानों का ऑनलाइन व्यवस्थापन/नवीनीकरण किये जाने के क्रम में आवेदकों से धनराशियां प्राप्त किये जाने हेतु पंजाब नेशनल बैंक में एक केन्द्रीयकृत विभागीय खाता खोले जाने तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में खुले चालू खाते की अवधि 02 माह बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4880/टास्क फोर्स-2/ई-लाटरी/2018-19, दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 की ई-लाटरी हेतु चल रहे चालू खाता संख्या-4483002100004497 को कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण 10 दिसम्बर, 2018 के उपरान्त 02 माह के लिए विस्तारित करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव/अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के राजस्वहित में वित्तीय वर्ष 2018-19 में ई-लाटरी हेतु जिला आबकारी अधिकारी, लखनऊ के नाम से पंजाब नेशनल बैंक में संचालित चालू खाता सं0-4483002100004497 को 02 माह के लिए विस्तारित किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त चालू खाता दिनांक 10.12.2018 से 02 माह के पश्चात प्रत्येक दशा में बन्द कर दिया जाएगा। बैंक खाते के संचालन हेतु पूर्व में अधिरोपित अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-एफ0ए0-1-28/दस-2018, दिनांक 22 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

4- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-13/2019/4023(1) ई-2/तेरह-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

(1) स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।